रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 840] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2017/चैत्र 2, 1939
No. 840] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2017/CHAITRA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017

का.आ. 938(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2598 (अ), तारीख 22 सितम्बर, 2015, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट है, राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया;

और, वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर में अवस्थित है और 23.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में विविध आश्रय स्थल है जिनमें विविध प्रकार के जीव-जन्तु एवं वनस्पति जैसे रीछ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, बनैला सूअर, ब्लैक बक, चिंकारा, सांभर तथा चित्तीदार हिरण का वास है;

और, चैंपियन तथा सेठ के वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य के मुख्य वन प्रकार में शुष्क पर्णपाती कांटेदार वन है और मुख्य वनस्पति *एनोगियासिस पेंडुला* के साथ सहयोगी वृक्ष प्रजाति जैसे *अकाकिया कैचू, अकाकिया लियोको फिलिया, अकाकिया सेनेगल, बलनिट्स एगियपरिका, बोटिया मोनोसर्पमा, कापारिस डिसिड्यम, कपारिस सिपीयारिया* और *कोरडिया मैयसा* है;

और, वन विहार वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के चारों ओर की क्षेत्र का पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में वन विहार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के विस्तार के क्षेत्र को वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन वन विहार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के विस्तार पर 23.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I और उपाबंध I-क** में दिया गया है ।

(2) इस अधिसूचना में पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश-देशांतर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान राज्य के जिला धौलपुर के 47 ग्रामों तक फैला हुआ है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं का निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना में सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी के लिए अनुमोदित की जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करके संबद्ध राज्य के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व ;

(v) नगर विकास ;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका ;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया गया हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों के संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके

अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम लागू होंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अधीन पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(v) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य

सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या प्रकाशन के पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के वर्गीकरण के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप **(टेम्पलेट के अंत में प्रतिषिद्ध किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची के लिए तर्क दिया गया है)**		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए और विद्यमान (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसके अंतर्गत निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों की स्थापना जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि ।	कोई नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में हरित या श्वेत के रूप में वर्गीकृत उद्योग जिसके अंतर्गत कृषि आधारित लघु उद्योग भी है विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

4.	किसी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप पर्यटकों के लघु अस्थायी संरचना के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकट हो, के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं : परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत भवन संबंधी उपविधि के अनुसार पैरा 6 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु, यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा से ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प, कृषि,

		उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी; (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और दूरसंचार टावरों और बिछाई गई केबलों और अन्य बुनियादी ढाँचों का परिनिर्माण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबलों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा ।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियम और उपाबंध दिशानिर्देश विनियमित होंगे ।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स, आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लागू विधियों के अधीन अनुमति दी जाएगी ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित होंगे ।
22.	वाणिज्यिक सतह और भूमिगत जल की निकासी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिक पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
ग. संवर्धित क्रियाकिलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	निम्नीकृत भूमि या वन आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति - (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन विहार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलक्टर, धौलपुर – अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए – सदस्य;

(iii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाए - सदस्य ;

(iv) निम्नलिखित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी :

लोक निर्माण विभाग, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, – सदस्यगण;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी (आर.ओ), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – सदस्य;

(vi) माननीय वन्यजीव वार्डन, धौलपुर – सदस्य;

(vii) उप खंड अधिकारी, धौलपुर – सदस्य;

(viii) प्रभागीय वन अधिकारी – सदस्य;

(ix) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक (वन्यजीव) – सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन :

(1) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) मानीटरी समिति राजपत्र अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और पैरा 4, सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध के अधीन की गतिविधियों के सिवाय उसके वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर उक्त वर्ष कि 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[एफ. सं. 25/22/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर,वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

वन विहार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

उत्तर:- खानपुरा (बारी) (उ 26°39.255′, पू 077° 46.577′) से उर्मिला सागर आरम्भ बिन्दु कनाल (उ 26° 39.259′, पू 077° 45.610′) से रेलवे लाइन (कनाल के साथ-साथ) (उ 26° 40.139′, पू 077° 42.039′) से पूरा मसतूसरा नाला (उ 26° 39.170′, पू 077° 40.827′) रेलवे लाइन के साथ-साथ पश्चिम हुसैन पुरा तालाब से खानपुर गुजर के नजदीक गरही तिराहा पर बोरी रोड तक जाती है (उ 26° 37.388′, पू 077° 39.269′)

पश्चिम: - गरही तिराहा शाही वन ब्लाक की सीमा तक जोरे का पुरा के नजदीक (उ 26° 36.220′, पू 077° 40.279′) पत्थर खदान के लिए ऊपर से लैकपुरा से बारेनद से गोविंदपुरा तक (उ 26° 34.300′, पू 077° 40.656′) कच्चा रास्ते के साथ-साथ कुद्दीन्ना वन ब्लाक की सीमा से मुगलपुरा तक जाती है (उ 26° 33.514′, पू 077° 40.582′)

(पारिस्थितिक संवेदी जोन राम सागर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से जुड़ती है)

दक्षिण:- मुगलपुरा का किला (उ 26° 33.158′, पू 077° 42.549′) भीम खोज नदी के कुद्दीन्ना वन ब्लाक की सीमा के साथ-साथ पर्वाखार नदी के नी के साथ-साथ ले भाग दांध बसाइ तक जाती है (उ 26° 33.872′, पू 077° 45.103′) से जोगियापुरा (उ 26° 34.002′, पू 077° 48.103′) जोगियापुरा से सहरोन गांव (उ 26° 37.531′, पू 077° 48.722′)

पूर्व: - सहरोन गांव से बसाई डैंग पटवारी गांव के पास (उ 26° 37.501′, पू 077° 47.814′) से कुकपुर (वन विहार रोड पर) (उ 26° 38.396′, पू 077° 47.168′) से खानपुर (बारी रोड) (उ 26° 39.255′, पू 077° 46.577′)

(पारिस्थितिक संवेदी जोन केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से जुड़ती है)

उपाबंध I-क

वन विहार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक

क्र.स.	जीपीएस	देशांतर	अक्षांश
1	ई 01	77° 40.848' पू	26° 39.159' उ
2	ई 02	77° 39.258' पू	26° 37.361' उ
3	ई 03	77° 41.010' पू	26° 35.370' उ

4	ई 04	77° 40.556' पू	26° 35.224' उ
5	ई 05	77° 40.929' पू	26° 34.451' उ
6	ई 06	77° 40.421' पू	26° 34.116' उ
7	ई 07	77° 41.561' पू	26° 34.229' उ
8	ई 08	77° 40.678' पू	26° 33.346' उ
9	ई 09	77° 45.233' पू	26° 34.127' उ
10	ई 10	77° 47.990' पू	26° 33.856' उ
11	ई 11	77° 47.371' पू	26° 35.279' उ
12	ई 12	77° 48.701' पू	26° 37.440' उ
13	ई 13	77° 46.654' पू	26° 39.280' उ
14	ई 14	77° 45.658' पू	26° 39.249' उ
15	ई 15	77° 45.479' पू	26° 40.014' उ
16	ई 16	77° 44.471' पू	26° 40.192' उ

उपाबंध II

निर्देशांकों के साथ वन विहार वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

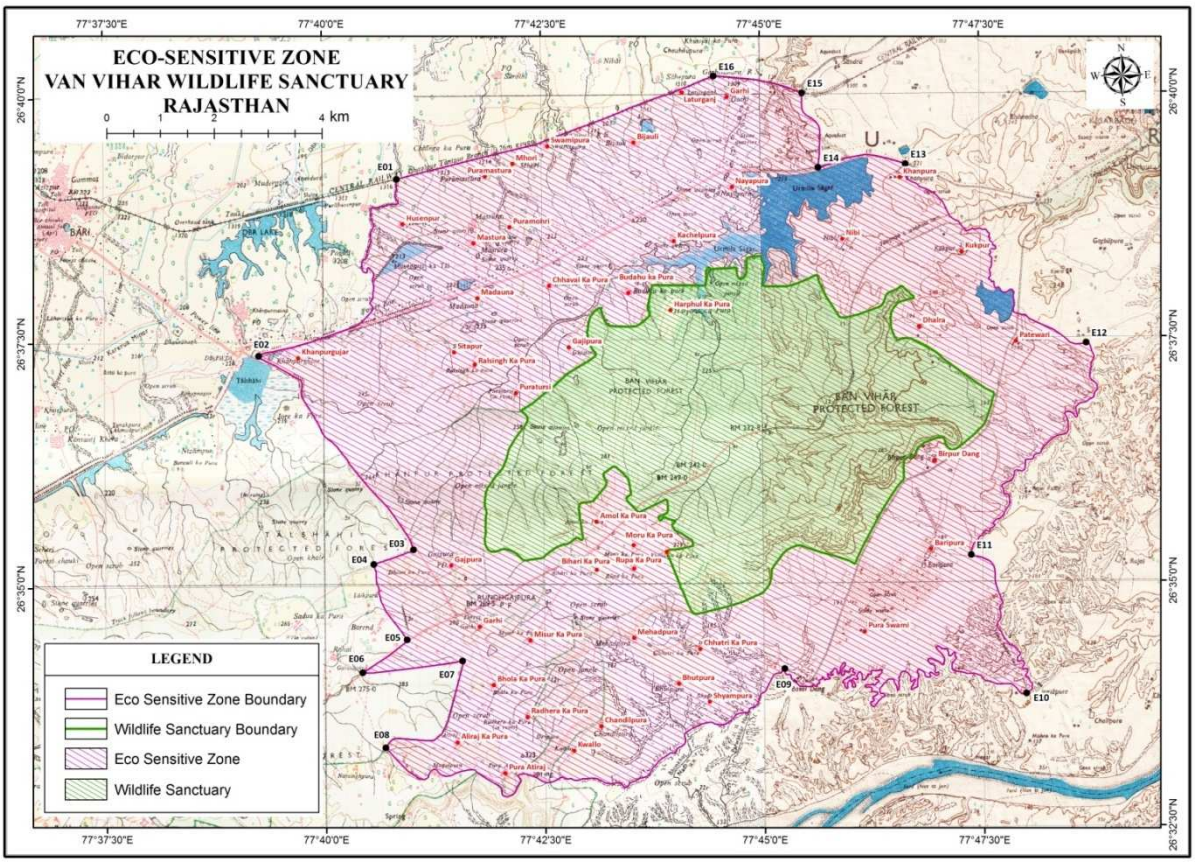

उपाबंध III

भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	उपनिवेश	देशांतर	अक्षांश
1	खानपुरा	77° 46.589' पू	26° 39.140' उ
2	पटवारी	77° 47.901' पू	26° 37.457' उ
3	कुकपुर	77° 47.289' पू	26° 38.375' उ
4	निबी	77° 45.929' पू	26° 38.514' उ

5	खानपुरगुजर	77° 39.712' पू	26° 37.337' उ
6	गजपुरा	77° 41.439' पू	26° 35.204' उ
7	विधुरीन का पुरा	77° 43.898' पू	26° 35.327' उ
8	मोरु का पुरा	77° 43.523' पू	26° 35.398' उ
9	रुपा का पुरा	77° 43.526' पू	26° 35.160' उ
10	बिहारी का पुरा	77° 43.100' पू	26° 35.150' उ
11	पुरातुरसी	77° 42.193' पू	26° 36.963' उ
12	गाजीपुरा	77° 42.799' पू	26° 37.427' उ
13	बुदाहु का पुरा	77° 43.485' पू	26° 37.980' उ
15	हरफुल का पुरा	77° 43.964' पू	26° 37.797' उ
16	कचेलपुरा	77° 44.006' पू	26° 38.504' उ
17	बीरपुर दैंग	77° 46.964' पू	26° 36.244' उ
18	धालरा	77° 46.798' पू	26° 37.613' उ
19	बारीपुरा	77° 46.913' पू	26° 35.337' उ
20	छतरी का पुरा	77° 44.273' पू	26° 34.333' उ
21	अमोल का पुरा	77° 43.101' पू	26° 35.639' उ
22	हुसेनपुरा	77° 40.913' पू	26° 38.697' उ

23	मसतुरा	77° 41.720' पू	26° 38.497' उ
24	पुरामोहरी	77° 42.133' पू	26° 38.658' उ
25	मदाउना	77° 41.759' पू	26° 37.935' उ
26	सीतापुर	77° 41.490' पू	26° 37.384' उ
27	रालसिंग का पुरा	77° 41.726' पू	26° 37.255' उ
28	छवाई का पुरा	77° 42.580' पू	26° 38.057' उ
29	बिजौली	77° 43.554' पू	26° 39.514' उ
30	स्वामीपुरा	77° 42.572' पू	26° 39.484' उ
31	म्होरी	77° 42.172' पू	26° 39.305' उ
32	लातुरगंज	77° 44.110' पू	26° 40.026' उ
33	गरही	77° 44.624' पू	26° 39.974' उ
34	नयापुरा	77° 44.675' पू	26° 39.052' उ
35	पुरामसतुरा	77° 41.855' पू	26° 39.179' उ
36	गरही	77° 41.760' पू	26° 34.577' उ
37	मिसुर का पुरा	77° 42.337' पू	26° 34.432' उ
38	भोला का पुरा	77° 41.914' पू	26° 33.978' उ
39	अलीराज का पुरा	77° 41.500' पू	26° 33.394' उ

40	राधेरा का पुरा	77° 42.299' पू	26° 33.649' उ
41	छानदिलपुरा	77° 43.139' पू	26° 33.548' उ
42	भुतपुरा	77° 44.025' पू	26° 33.978' उ
43	श्यामपुरा	77° 44.377' पू	26° 33.790' उ
44	मेहदपुरा	77° 43.518' पू	26° 34.449' उ
45	पुरा अतिराज	77° 42.038' पू	26° 33.076' उ
46	कवाल्लो	77° 42.826' पू	26° 33.302' उ
47	पुरा स्वामी	77° 46.148' पू	26° 34.499' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश : ब्यौरे उपाबद्ध के रुप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश : ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश : ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश : ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2017

S.O. 938(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2598 (E), dated the 22 September 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

WHEREAS, Van Vihar Wildlife Sanctuary is situated in Dholpur district of Rajasthan and is spread over an area of 23.6 square kilometer;

AND WHEREAS, the sanctuary has varied habitats having diverse flora and fauna and harbors Sloth Bear, Jungle Cat, Wild Dog, Hyaena, Jackal, Fox, Nilgai, Wild Bor, Black buck, Chinkara, Sambhar and Spotted Dear;

AND WHEREAS, the main forest type according to Champion and Seth Classification in the Sanctuary is Dry Deciduous Thorny Forest and the main flora is *Anogeissus pendula* along with associate trees species such as *Acacia catechu, Acacia leucophloea, Acacia Senegal, Balanites aegyptica, Butea monosperma, Capparis deciduas, Capparis sepiaria, and Cordia myxa*;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the area of Van Vihar Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government here by notifies an area with an extent of 1.5 kilometer to five kilometer all around the boundary of Van Vihar Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Van Vihar Wildlife Sanctuary Eco sensitive Zone (herein after called as Eco-sensitive Zone) and the details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 23.38 square kilometre with an extent of 1.5 kilometer to 5 kilometer around the boundaries of Van Vihar Wildlife Sanctuary and the boundary description of the Eco-sensitive Zone are given in **Annexure I and Annexure I-A**.

(2) The map of the eco-sensitive zone along with latitude and longitude is appended to this notification as **Annexure II.**

(3) The Eco-sensitive Zone is spread across 47 villages in Dholpur District of the state of Rajasthan.

(4) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of prominent points is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be prepared by the Competent Authority of the State Government within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Ministry of Environment and Forests.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department;

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring vides the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or industrial activities and such areas shall be clearly defined in the Zonal Master Plan along with maps:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 7:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of

new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up as part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(v) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units:-** (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed to be established within Eco-sensitive Zone vide Central Pollution Board's categorisation.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
	(The rationale for including a list of activities to be prohibited is given at the end of the template)	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the CPCB Classification including agro-based small scale industries will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

10.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Micro-lights, etc.	Regulated under applicable law.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee: - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone Notification for Van Vihar Wildlife Sanctuary, which shall comprise of, namely:-

(i) District Collector, Dholpur - –Chairman

(ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of three years –Member

(iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of three years in each case –Member

(iv) District level officers of the following departments:
PWD, Mining, Irrigation, Tourism, Police,
Municipal Council, Industry –Members

(v) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board - Member
(vi) Hon'ble Wildlife Warden, Dholpur - Member
(vii) Sub Divisional Officer, Dholpur - Member
(viii) Divisional Forest Officer, Dholpur - Member
(ix) Member of State Bio Diversity Board
(x) Deputy Conservator of Forests (WL) - Member-Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The tenure of the Monitoring committee is for a period of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Gazette Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma given in **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and the State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F.No.25/22/2015-ESZ-RE,
LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Description of Boundaries of Eco-sensitive Zone of Van Vihar Wildlife Sanctuary, Rajasthan

North:- Khanpura (Bari) (N 26˚39.255′, E 077˚ 46.577′) to Urmila Sagar starting point of canal (N 26˚ 39.259′, E 077˚ 45.610′)to Railway line (along with canal) (N 26˚ 40.139′, E 077˚ 42.039′) to Puramastura nala (N 26˚ 39.170′, E 077˚ 40.827′) along with railway line towards west Husen pura talab to Khanpur gujar near Garhi tiraha on Bari road (N 26˚ 37.388′, E 077˚ 39.269′)

West:- Garhi tiraha to boundary of Talab shahi forest block near Jore ka pura (N 26˚ 36.220′, E 077˚ 40.279′) up to stone quarry to Laikpura to Barend to Govind pura (N 26˚ 34.300′, E 077˚ 40.656′) along with kacha path boundary of Kuddinna forest block up to Mugalpura (N 26˚ 33.514′, E 077˚ 40.582′) (Adjoing to Eco-sensitive Zone of Ram sagar wildlife sanctuary)

South:- Mugalpura to Quaila (N 26˚ 33.158′, E 077˚ 42.549′) to Bhim khoj river along with Kuddinna forest block boundary Parvakhar river to lower side of Dangh Basai (N 26˚ 33.872′, E 077˚ 45.103′) to Jogiapura (N 26˚ 34.002′, E 077˚ 48.103′) Jogiapura to Sahron village (N 26˚ 37.531′, E 077˚ 48.722′)

East:- Sahron village to Basai Dang road near Patewari village (N 26˚ 37.501′, E 077˚ 47.814′) to Kukpur (on van vihar road) (N 26˚ 38.396′, E 077˚ 47.168′) to Khanpura (Bari road) (N 26˚ 39.255′, E 077˚ 46.577′) (adjoining to Eco-sensitive Zone of Kasarbag wildlife sanctuary)

ANNEXURE I-A

Boundary of Eco-sensitive Zone of Van Vihar Wildlife Sanctuary with GPS Co-ordinates

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	77° 40.848' E	26° 39.159' N
2	E02	77° 39.258' E	26° 37.361' N
3	E03	77° 41.010' E	26° 35.370' N
4	E04	77° 40.556' E	26° 35.224' N
5	E05	77° 40.929' E	26° 34.451' N
6	E06	77° 40.421' E	26° 34.116' N
7	E07	77° 41.561' E	26° 34.229' N
8	E08	77° 40.678' E	26° 33.346' N
9	E09	77° 45.233' E	26° 34.127' N
10	E10	77° 47.990' E	26° 33.856' N
11	E11	77° 47.371' E	26° 35.279' N
12	E12	77° 48.701' E	26° 37.440' N
13	E13	77° 46.654' E	26° 39.280' N
14	E14	77° 45.658' E	26° 39.249' N

15	E15	77° 45.479' E	26° 40.014' N
16	E16	77° 44.471' E	26° 40.192' N

ANNEXURE II

Map of proposed Eco-sensitive Zone around Van Vihar Wildlife Sanctuary, Rajasthan along with coordinates

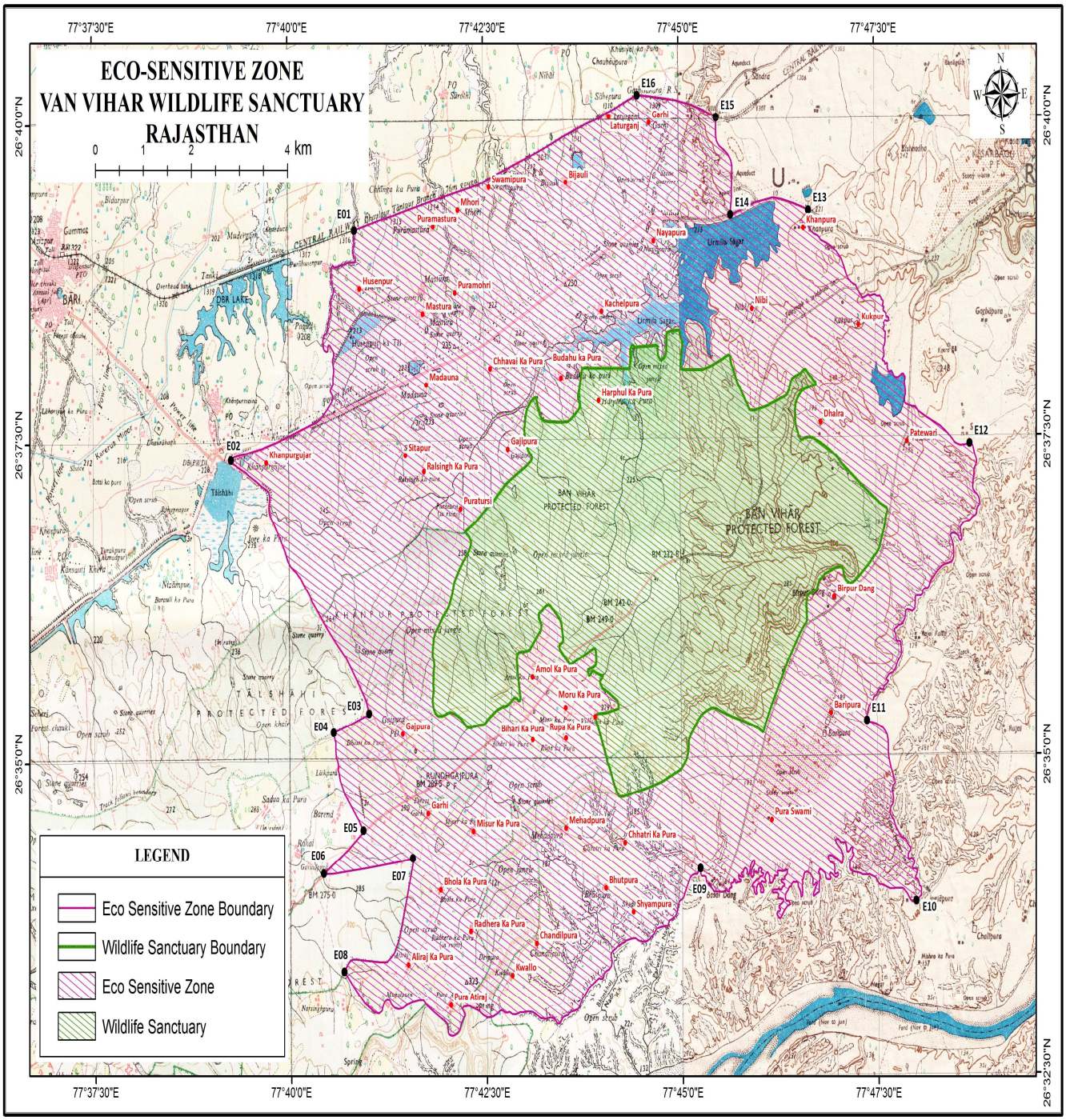

Annexure III

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone with Geo-coordinates

Sl.No.	Settlement	Longitude	Latitude
1	Khanpura	77° 46.589' E	26° 39.140' N
2	Patewari	77° 47.901' E	26° 37.457' N
3	Kukpur	77° 47.289' E	26° 38.375' N
4	Nibi	77° 45.929' E	26° 38.514' N
5	Khanpurgujar	77° 39.712' E	26° 37.337' N
6	Gajpura	77° 41.439' E	26° 35.204' N
7	Vidhurin Ka Pura	77° 43.898' E	26° 35.327' N
8	Moru Ka Pura	77° 43.523' E	26° 35.398' N
9	Rupa Ka Pura	77° 43.526' E	26° 35.160' N
10	Bihari Ka Pura	77° 43.100' E	26° 35.150' N
11	Puratursi	77° 42.193' E	26° 36.963' N
12	Gajipura	77° 42.799' E	26° 37.427' N
13	Budahu ka Pura	77° 43.485' E	26° 37.980' N
15	Harphul Ka Pura	77° 43.964' E	26° 37.797' N
16	Kachelpura	77° 44.006' E	26° 38.504' N
17	Birpur Dang	77° 46.964' E	26° 36.244' N
18	Dhalra	77° 46.798' E	26° 37.613' N
19	Baripura	77° 46.913' E	26° 35.337' N
20	Chhatri Ka Pura	77° 44.273' E	26° 34.333' N
21	Amol Ka Pura	77° 43.101' E	26° 35.639' N
22	Husenpur	77° 40.913' E	26° 38.697' N
23	Mastura	77° 41.720' E	26° 38.497' N
24	Puramohri	77° 42.133' E	26° 38.658' N
25	Madauna	77° 41.759' E	26° 37.935' N
26	Sitapur	77° 41.490' E	26° 37.384' N

27	Ralsingh Ka Pura	77° 41.726' E	26° 37.255' N
28	Chhavai Ka Pura	77° 42.580' E	26° 38.057' N
29	Bijauli	77° 43.554' E	26° 39.514' N
30	Swamipura	77° 42.572' E	26° 39.484' N
31	Mhori	77° 42.172' E	26° 39.305' N
32	Laturganj	77° 44.110' E	26° 40.026' N
33	Garhi	77° 44.624' E	26° 39.974' N
34	Nayapura	77° 44.675' E	26° 39.052' N
35	Puramastura	77° 41.855' E	26° 39.179' N
36	Garhi	77° 41.760' E	26° 34.577' N
37	Misur Ka Pura	77° 42.337' E	26° 34.432' N
38	Bhola Ka Pura	77° 41.914' E	26° 33.978' N
39	Aliraj Ka Pura	77° 41.500' E	26° 33.394' N
40	Radhera Ka Pura	77° 42.299' E	26° 33.649' N
41	Chandilpura	77° 43.139' E	26° 33.548' N
42	Bhutpura	77° 44.025' E	26° 33.978' N
43	Shyampura	77° 44.377' E	26° 33.790' N
44	Mehadpura	77° 43.518' E	26° 34.449' N
45	Pura Atiraj	77° 42.038' E	26° 33.076' N
46	Kwallo	77° 42.826' E	26° 33.302' N
47	Pura Swami	77° 46.148' E	26° 34.499' N

ANNEXURE IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:

4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.29 11:21:06 +05'30'